

10/2/2025 पत्रावली पेश। धार्मिक वहील आगत।
अधार्मिक लेखा (1) व (2) की कोट की
उपस्थित नही। आवाज डिलीजरी। कोई
उपस्थित नही होने से इनके विरुद्ध
एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

धार्मिक अधिवक्ता के विवेकन पर बहस
रुकी गरी। बहस से धार्मिक अधिवक्ता
द्वारा धार्मिक पत्र के तथ्यों की दोषले
द्वारा विवेकन किया कि विवादात्मक आगामी
मौजा हुगावा के खसरा संख्या 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 में स्थित धार्मिक के
1/3 हिस्सा अर्थात् खसरा 5-7866 हेक्टेयर
में धार्मिक के शांतिपूर्ण उपयोग-उपभोग व
कर्म कायदा में न ही अधार्मिक स्वयं
किसी प्रकार की दखलदोजी या मुस्बाअम
करें। तथा नही आगे बैचान, उदन
भोगलावा आदि कर। अर्थात् राजस्व
देकनी व मौके की पधारिणी बनाये
रखने की मूल धाद के निस्तारण
तक अस्थायी विवेदात्मक जाती फरमावे।
हमने पत्रावली का अवलोकन
किया व धार्मिक के बहस तथ्यों पर

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
-------------	------------------------------------	--

मचन करने पर पापा डि हस्तगत
 पुकरण के शिवादीत आठजी भौजा
 दुगावा के खसरा सौप्पा 1, 2, 3, 4, 5
 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 में छापी व
 अपापी 1 व 2 भलग - भलग
 खसरात के रेकार्डिड खातेपर
 ही तथा रेकार्डिड खातेपर के
 विरुद्ध आस्थाई निर्बंधन जारी
 किया जाना अर्थात् व प्राप्तगोत
 उत्तील नही होना ही ऐसी स्थिति
 में छापी का अर्चना धर
 व्यापक से स्वार्थि किया जाना
 की प्रभावती केवल बहुरार होकर
 नष्ट से कम है। निर्णय सर्व
 इजलास सुनाया गया। (पुनी)

सहायक कलेक्टर, सांचौर
 (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)